उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संख्या : - /xxiv(6)/11
देहरादून : दिनांक 15 मार्च–2011

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन व अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में दिनांक 14,अगस्त 2003 को दिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार (जब तक कि राज्य अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत शुल्क नियामक समिति का गठन तथा स्थापना नहीं की जाती, तब तक इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन व अन्य बनाम् स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में दिये गये निर्णय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अस्तित्व में रहकर निरन्तर कार्य करती रहेगी । ये समितियॉ इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकेगी) । राज्य में निजी क्षेत्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु गठित शुल्क निर्धारण समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 10 फरवरी 2011 में लिये गये निर्णयानुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित होने वाले बी0एड0 पाठ्यक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किया जाता है :–

क0 सं0	संस्था का नाम	सरकारी कोटे की सीटों का शुल्क	प्रबन्ध तंत्र की सीटों का निर्धारित शुल्क	एन0आर0आई0 कोटे की सीटों का शुल्क
1.	श्री राम इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
2.	इंस्पीरेशन कालेज आफ टीचर एजुकेशन, काठगोदाम, नैनीताल ।	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
3.	देवभूमि इंस्टीटयूट आफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर ।	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
4.	आम्रपाली इंस्टीटयूट, शिक्षानगर, हल्द्वानी	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
5.	जय अरिहन्त इंस्टीटयूट, हल्दूचौड़, हल्द्वानी	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
6.	द्रोण बी0एड0 कालेज, ग्रा0व पो0 खानपुर पूरब दिनेशपुर रोड रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर।	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–
7.	देवभूमि कालेज आफ एजुकेशन, चूना भट्टा रोड़ बनबसा, चम्पावत् ।	₹ 42,000/–	₹ 55,000/–	₹ 75,000/–

2– उक्त निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा । यदि कोई अन्य शुल्क लिया जायेगा तो उसे कैपिटेशन फीस माना जायेगा और संस्थान के विरूद्ध उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम

OK

41(a)

में उल्लिखित प्राविधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी । निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा ।

3– संस्था द्वारा फीस निर्धारण के कम में जारी शासनादेश की प्रति प्रत्येक छात्र–छात्राओं को हस्तगत कराई जायेगी ।

4– एन0आर0आई0 से तात्पर्य वही होगा जो प्रवासीय भारतीय मंत्रालय द्वारा दी गयी परिभाषा से है । एन0आर0आई0 उपलब्ध न होने पर एन0आर0आई0 की सीटों पर इच्छुक अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा व उनसे एन0आर0आई0 का ही शुल्क वसूल किया जायेगा ।

5– समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर किया गया है । संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों में उल्लिखित तथ्यों की प्रमाणिकता की पुष्टि शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति द्वारा भविष्य में की जा सकती है ।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन सख्या : 65 /XXIV(6)/2011 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम कुलाधिपति, उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल ।
4. निदेशक/सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जयपुर राजस्थान ।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून ।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर/चम्पावत् ।
8. कुलसचिव, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ।
9. निदेशक, सम्बन्धित् स्ववित्त पोषित संस्थायें ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
15/3/2011
(वेदीराम)
अनु सचिव ।